<u>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान</u>

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29

फा.सं.10-10/2025-हिं.अ. दिनांक: 22.10.2025

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 22 अगस्त, 2025 को आयोजित हुई हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त पर <u>अनुपालनात्मक कार्रवाई करने संबंधी।</u>

उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 24 सितम्बर, 2025 के कार्यालय ज्ञापन सं. ई. 11016/03/2018- हिंदी के द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 22 अगस्त, 2025 को आयोजित हुई बैठक का कार्यवृत्त सूचना/आवश्यक कार्रवाई हेतु संस्थान को प्रेषित किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के उक्त कार्यवृत्त की विभिन्न मदों पर संस्थान द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालनात्मक कार्रवाई की जानी अपेक्षित है:-

1. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिंदी में दिए जाने का प्रयास किया जाए। यदि आवश्यक हो तो उसके साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भेजा जाए।

2. संस्थान में लैटर हैड और विजिटिंग कार्ड द्विभाषी रूप में तैयार कराए जाएं।

3. फाइलों पर नोटिंग अधिक से अधिक हिंदी में की जाएं।

4. सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं।

5. मेडिकल की पढ़ाई में हिंदी में प्रकाशित पुस्तकें खरीदी जाएं और मेडिकल के क्षेत्र में शोध कार्य करने को प्रोत्साहित किया जाए।

6. बैठकों में विचार-विमर्श में अंग्रेजी के प्रयोग को कम करते हुए सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग किया जाए।

7. सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रचार के लिए तकनीकी शब्दों का प्रयोग यथावत रूप में हिंदी में किया जाए और उनके अनावश्यक अनुवाद से बचा जाए। इसके लिए तकनीकी और शब्दावली आयोग व केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा तैयार मानक हिंदी वर्तनी एवं कोश/शब्दावली का प्रयोग किया जाए।

जारी-2/-

8. चिकित्सकों द्वारा रोगियों के कार्डों पर हिंदी में नुस्खे लिखे जाएं ताकि आम लोग आसानी से समझ सकें। चिकित्सकों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

9. हिंदी में शोध कार्य करने वाले अथवा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपना रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने वाले डॉक्टरों को प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाना चाहिए।

अतः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति द्वारा लिए गए उपर्युक्त बिन्दुओं के अनुपालन में संस्थान के सभी विभागों तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता अनुभागों/केंद्रों से अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में आवश्यक अनुपालनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इसे निदेशक महोदय के अनुमोदन से आवश्यक अनुपालन हेतु जारी किया जाता है।

दिव्या

(दिव्या यानामदाला)
वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं
राजभाषा अधिकारी

<u>वितरण:-</u> संस्थान के सभी विभाग/अनुभाग/केंद्र।

<u>प्रतिलिपि:-</u>

- निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदया के प्रधान निजी सचिव।
- अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव।
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
- संयुक्त निदेशक (रा.भा.), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-11.
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा)- कृपया इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।